(b) whether the Board has prepared any scheme whereby it may be possible to declare a waterway a "national" waterway?]

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बी० भगवती) : (क) गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की बैठकें १९५२, १९५३, १९५४ और १९५६ में दो बार और १९५५, १९५७, १९५८, १९५९, १९६० और १९६१ में एक बार हुई। संभवत: बोर्ड के कर्मचारियों का नहीं बल्कि उसके सदस्यों का विवरण मांगा गया है। इसलिए बोर्ड के सदस्यों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

विवरण

अध्यक्ष .... सचिव, भारत सरकार, परिवहन तथा संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग)।

उपाध्यक्ष .... भारत सरकार के विकास सलाहकार, परिवहन तथा संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग)।

सदस्य (१) सदस्य, नौचालन, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग या उनका नामजद।

(२) उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि।

(३) बिहार सरकार का प्रतिनिधि।

(४) पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधि।

(५) असम सरकार का प्रतिनिधि।

(६) मुख्य अधिकारी, जल परिवहन विभाग कलकत्ता।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (SHRI B. BHAGAVATI): (a) The Ganga Brahmaputra Water Transport Board met twice during the years 1952, 1953, 1954 and 1956 and once during the years 1955, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961. It is presumed that details of the composition of the Board and not of its staff are required. A statement giving the composition of the Board is accordingly laid on the Table of the Sabha.

(b) No, Sir.

STATEMENT

Chairman . . Secretary to the Government of India in the Ministry of Transport and Communications (Department of Transport).

Vice-Chairman . Development Adviser to the Government of India in the Ministry of Transport and Communications (Department of Transport).

Members . . (1) Member, Navigation, Central Water & Power Commission, or his nominee.

(2) A representative of the Government of Uttar Pradesh.

(3) A representative of the Government of Bihar.

(4) A representative of the Government of West Bengal.

(5) A representative of the Government of Assam.

(6) Principal Officer, Mercantile Marine Department, Calcutta.]

ज्वाइंट स्टीमर कम्पनीज, कलकत्ता के साथ हुआ समझौता

†*२४४. **श्री लक्ष्मीनारायण दास:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने ज्वाएंट स्टीमर

†[ ] English translation.

कम्पनीज़, कलकत्ता के साथ जो समझौता किया था, जिस के अनुसार, कम्पनी के बेड़े को १९६६-६७ तक चालू करना है, उस के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है और क्या सरकार ने ज्वाइंट स्टीमर कम्पनीज़ के मामलों की कोई जांच की है ?

†[AGREEMENT WITH JOINT STEAMER COMPANIES, CALCUTTA

*244. SHRI L. N. DAS: Will the Minister of TRANSPORT AND COMMUNICATIONS be pleased to state what progress has so far been made with regard to the agreeme[illegible] into by the Government of India with the Joint Steamer Companies, Calcutta under which the Company's fleet is to be rehabilitated by 1966-67 and whether any enquiry has been made by Government into the affairs of the Joint Steamer Companies?]

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बी० भगवती) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

अब तक भारत सरकार ने रिवरज़ स्टीम नेविगेशन कम्पनी लिमिटेड को उन के जलयानों को फिर से चालू करने के लिए ५,४८,८५७ रुपये का कर्ज़ा मंजूर किया है।

२. जलयानों के निर्माण की प्रगति का जहां तक संबंध है, दो स्वचालित वाहकों के ढांचे तैयार किये जा चुके हैं और ऊपरी संरचना का कुछ भाग पूरा हो गया है। चार अन्य स्वचालित वाहकों का प्रारंभिक मोल्डिंग और चादरों को काटने का काम शुरू हो गया है।

३. ज्वाइंट स्टीमर कम्पनियों से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों की जांच १९५४-५५ में की गयी थी :

(१) भाड़े की दरें;

(२) बुकिंग, कैरिज आदि की हालतें;

(३) यात्री सेवाओं और यात्रियों के किराये को कायम रखना ;

(४) चैनल की सफाई के लिये किये गये उपाय तथा इस के लिए सरकार कहां तक सहायता दे सकती है ; और

(५) बिहार में सेवाओं का बंद किया जाना ।

कम्पनियों की भाड़े की दरों की जांच १९६१ में फिर से की गयी थी। इस के अलावा कम्पनियों के मामलों की और कोई जांच नहीं की गयी।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (SHRI B. BHAGAVATI): A statement is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

A loan of Rs. 5,48,857 only has so far been sanctioned by the Government of India to the Rivers Steam Navigation Company Ltd., for the rehabilitation of its craft.

2. As for the progress in construction of vessels, the hulls of two self-propelled carriers have been completed and superstructure erected partially. The work relating to preliminary moulding and cutting of plate of the next four self-propelled carriers has commenced.

†[ ] English translation.

3. An investigation into the following matters relating to the Joint Steamer Companies was made in 1954-55:

(i) Freight rates;

(ii) Conditions for booking, carriage etc.

(iii) Maintenance of passenger service and Passenger fares;

(iv) Channel conservancy measures adopted and the extent of Government assistance in the matter; and

(v) Closure of services in Bihar.

An enquiry into the freight rates charged by the companies was again made in 1961. There was no other enquiry into the affairs of the companies.]

टिड्डी दल का खतरा

१९३. **श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर टिड्डियों के खतरे का मुकाबला करने के लिये सरकार द्वारा क्या क्या निर्णय किये गये हैं ?

†[LOCUST MENACE

193. SHRI V. M. CHORDIA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state the decisions taken by Government to face the locust menace on an international basis?]

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम सुभग सिंह) : अरब प्रायद्वीप में टिट्डी दलों की संख्या में कमी करने के कार्य में सहायता देने और उनके पूर्व की ओर बढ़कर भारत में घुसने की संभावनाओं को कम करने के लिये भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा संगठित एक अन्तर्राष्ट्रीय टिड्डी विरोध आन्दोलन में १९६२ के आरम्भ में लगातार आठवीं बार भाग लिया।

२. भारत ने मरुस्थल टिड्डी नियन्त्रण के सम्बन्ध में खाद्य और कृषि संगठन तकनीकी सलाहकार समिति तथा खाद्य और कृषि संगठन की मरुस्थल टिड्डी नियंत्रण समिति में भी प्रतिनिधित्व किया।

३. यूनाइटेड नेशन्स स्पेशल फन्ड डेज़र्ट लोकस्ट प्रोजेक्ट का उसकी स्थापना अर्थात् १९६० से भारत एक सदस्य भी है और १.४१ लाख रुपये की राशि वार्षिक चन्दे के रूप में देता है। इस परियोजना का उद्देश्य टिड्डी नियन्त्रण के उत्तम और अधिक समय तक चलते रहने वाले कार्यों का विकास करना और राष्ट्रीय टिड्डी विरोध अनुसन्धान और नियंत्रण संगठनों को शक्तिशाली बनाना है। इस परियोजना के अन्तर्गत, भारत ने हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं। जिस के अन्तर्गत बड़े क्षेत्रों में टिड्डी नियंत्रण की नई तकनीकों को विकसित करने के लिए १९६२ में भारत में एक परिचालन अनुसन्धान टीम को कार्य करने की आज्ञा दी है।

४. टिड्डी आसूचना और उनके नियंत्रण के उपायों के सम्बन्ध में विचार विमर्श करने के लिए, समय समय पर भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की बैठके होती हैं ताकि टिड्डियों से प्रभावित सीमा क्षेत्रों के सम्बन्ध मे सर्वे करने का मौका मिल सके।

५. भारत पारस्परिक आधार पर अफगानिस्तान, ईरान, संयुक्त अरब गणराज्य, संयुक्त अरब गणराज्य के सीरियन प्रदश, ईराक, यूनाइटेड किंग्डम ईथोपिया, अफ़रीका के कुछ देश और खाद्य और कृषि संगठन रोम के साथ पाक्षिक टिड्डी अवस्था बुलेटिनों का आदान प्रदान करता है।

†[ ]English translation.